यौन उत्पीड़न कानून के प्रति उदासीनता है चैंकाने वाली

नई दिल्ली,(अंकुर न्यूज नेटवर्क)। कंपनियों व राज्य सरकारों द्वारा यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुपालन में बरती जा रही उदासीनता को देखते हुए केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जो पहल की है वह वाकई में प्रशंसनीय है-यह कहना है विशाल केडिया का जो अनुपालन परामर्शक कंपनी कॉम्पलाई करो सर्विसिस प्रा.लि. के संस्थापक व निदेशक हैं।

श्रीमती गांधी ने कॉर्पोरेट्स को सख्त चेतावनी दी है कि इस कानून का अनुपालन करें अथवा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। आज राजधानी में ऐसोचैम और कॉम्पलाई करो द्वारा संयुक्त रूप से 'कार्यस्थल पर महिलाएं' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें अपने संबोधन में श्री केडिया ने यह उल्लेख किया कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए आंतरिक अनुपालन समिति स्थापित करना और कानून के प्रावधानों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना अनिवार्य है। महिला व बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 पर अमल करवाने वाला प्रधान मंत्रालय है। श्री केडिया ने कहा कि मंत्रालय ने पाया कि बहुत सारे संगठनों ने आईसीसी तक गठित नहीं की है, यह तथ्य कॉम्पलाई करो के अनुभव को सत्यापित करता है। मुंबई के कारोबारी इलाकों में हुए सर्वेक्षण में सामने आया कि मात्र 3 प्रतिशत संगठनों ने इस कानून का अनुपालन किया है और 86 प्रतिशत तो ऐसे हैं जो इस कानून के बारे में जानते तक नहीं हैं। श्री केडिया ने सुझाव दिया कि सभी वैधानिक निकायों को इस कानून के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने व इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देना चाहिए। यौन उत्पीड़न दंडनीय है और कंपनियों को इस कानून का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा गंभीर दंड भुगतना होगा। उदाहरण के लिए चेन्नई की एक कंपनी में यौन उत्पीड़ना का मामला सामने आया और कानून का अनुपालन न करने की वजह से उसे 1.68 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा तथा इसमें प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का भी प्रावधान है। 9 दिसंबर 2013 को अस्तित्व में आया यह अधिनियम महिलाओं को एक सुरक्षित कामकाजी परिवेश की मांग करने का अधिकार देता है तथा ऐसे परिसरों में संपर्क में आने वाले लोगों से सुरक्षा प्रदान करता है।

यदि किसी दफ्तर, मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि में किसी महिला का यौन उत्पीड़न होता है तो ऐसे परिसर का प्रबंधन कानूनी तौर पर बाध्य होता है कि यदि पीड़ित महिला आरोपी क विरुद्ध शिकायत करना चाहे तो शिकायत दर्ज करने में प्रबंधन पीड़िता की मदद करे। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को हर जिलाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से इस कानून का अमल व अनुपालन पर निगरानी रखनी होगी, प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति एवं नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि अधिकांश राज्यों ने इसका अनुपालन नहीं किया है, श्री केडिया ने अफसोस के साथ कहा इस कानून का पूरा जोर रोकथाम पर है और खास तौर पर इसका बल इस पहलू पर रहता है कि संगठन दायित्व ले कर अपने कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरुक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करे और साथ ही आईसीसी सदस्यों हेतु कौशल निर्माण कार्यक्रम चलाए। ऐसे विवरणों का खुलासा उस वार्षिक रिपोर्ट में होना चाहिए जिसे आईसीसी जिलाधिकारी को सौंपती है।